



204

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्र० 995-I/07 फोन

1- लक्ष्मीप्रसाद तनय 60 भातुवा रजक
निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकला
तहसील लोडी जिला उत्तरपुर म०प्र०

म०प्र० शासन
12.6.07

बनाम

- 1- बेटीबाई देवा गोपालसिंह
- 2- जादिरसिंह तनय गोपालसिंह
- 3- राजेन्द्र सिंह तनय गोपाल सिंह
- 4- गोविन्द सिंह तनय गोपालसिंह
- 5- राजाभाईया तनय गोपालसिंह
- 6- प्रदीपसिंह तनय गोपाल सिंह

सम्मत निवासी ग्राम गुडाकला तहसील
लोडी जिला उत्तरपुर म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मू राजस्वसंहिता, 1959
निगरानी विरुद्ध आदेश दि० 4-6-07 अधीनस्थ न्यायालय
श्रीमान अति० कमिश्नर सागर संभाग सागर से दुःखी होकर
प्रकरण क्र० 493/अ-3/2006-07 से दुःखी होकर ।

महोदय,

आवेदक गण निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करते हैं :-

- 1- यह कि, निगरानी संक्षिप्त है इस प्रकार है कि, आराजी
खतरा नं. 453/1 रकबा 2.104 है० म०प्र० शासन की
भूमि है, इसी भूमि पर निगरानीकर्ता तालाब का
निर्माण करा रहे थे, यह भूमि स्वतंत्र रूप से म०प्र०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुसूति आदेश पृष्ठ

दस्तावेज क्रमांक: R 995-I/07 दिनांक: 20/10/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदाधिकारी एवं अभिलेखियों कादि के हस्ताक्षर
20.10.16.	<p>आदेशिका के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>1. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>2. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>3. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>4. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>5. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>6. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>7. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>8. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>9. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p> <p>10. राजस्व अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यवाही करवायें।</p>	<p>(Signature)</p> <p>20/10/16</p>

h/c